माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

बी-38, विकास भवन, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल
फोन नं. 0755-2552574

कैंटीन संचालन-निविदा सूचना

विश्वविद्यालयीन भवन बी-38, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल में एक वर्ष की अवधि के लिए कैंटीन संचालन का ठेका देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता **"माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल"** के पक्ष में राशि रुपये-1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर भण्डार शाखा या वि.वि. की वेबसाइट **(www.mcnujc.ac.in, www.mcu.ac.in)** से निविदा फार्म प्राप्त कर दिनांक 11.03.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा जमा कर सकते हैं, जो उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जायेंगी।

म.प्र. माध्यम/93337/2019 **कुलसचिव**

टेण्डर फार्म क........

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

बी–38 विकास भवन जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल,

फोन नं. 0755–2552574

कैंटीन संचालन के लिए निविदा फार्म (वर्ष 2019–20)

---

1. निविदा प्रदाता व्यक्ति/संस्थान का नाम : . . . .

: . . . .

2. पिता/पति का नाम (यदि लागू हो) : . . . .

3. वर्तमान पता : . . . .

: . . . .

: . . . .

4. स्थायी पता : . . . .

: . . . .

: . . . .

5. संस्था का पंजीयन क्र. : . . . .
   (अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. आयकर की स्थाई लेखा संख्या (PAN No.) : . . . .
   (अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. GSTN (अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करें) : . . . .

8. दूरभाष/मोबाइल : . . . .

9. कैंटीन/रेस्टोरेंट चलाने का अनुभव : . . . .
   (दस्तावेज संलग्न करें।)

10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) : . . . .
    का पंजीयन कमांक (प्रमाण पत्र संलग्न) करें।

<u>निविदा की शर्तें :–</u>

1. कैंटीन संचालक को कैंटीन का किराया रू. 3000/– (रू. तीन हजार मात्र) प्रति माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। बिजली का सब मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग अनुसार विद्युत व्यय पृथक से विश्वविद्यालय में प्रति माह जमा करना होगा।
2. निविदा फार्म के साथ सुरक्षा निधि राशि रूपये–50,000/– (रू. पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा स्वीकृत होने पर कैंटीन संचालन में असमर्थ होने की दशा में वि.वि. द्वारा इस राशि को राजसात कर लिया जायेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में यह राशि सुरक्षानिधि के रूप में वि.वि. में निविदा अवधि तक जमा रहेगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर ही ठेका अवधि में चाय एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होगा।
5. साफ–सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि आस–पास के क्षेत्रों में गन्दगी न फैलने पाये। इसके लिए डस्टबीन की व्यवस्था करनी होगी।
6. खाद्य सामग्री ताजी हो एवं हमेशा ढक कर रखी जाय एवं उच्च क्वालिटी की सामग्री निर्मित हो इसका विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है।
7. खाद्य सामग्री का विक्रय एवं उसकी राशि प्राप्त करने का दायित्व कैंटीन संचालक का होगा।
8. निविदा जमा करने की **<u>अंतिम तिथि दिनांक 11 मार्च 2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक</u>** है जो उसी दिन **4.00 बजे** खोली जायेगी।
9. इस विषय में किसी प्रकार का विवाद होने पर कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
10. वि.वि. द्वारा समय–समय पर आयोजित बैठकों में चाय–नाश्ता की आपूर्ति के लिए बोन चाइना क्रॉकरी, कांच के गिलास आदि की व्यवस्था कैंटीन संचालक को करना होगा।
11. कैंटीन में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. बिना कारण बताए निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
13. निविदा अवधि कार्यादेश प्रदाय तिथि से एक वर्ष के लिए रहेगी।
14. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वि.वि. कैंटीन में प्लास्टिक/डिस्पोजल आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
15. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों/धूम्रपान (पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
16. कैंटीन संचालन पर देय सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के भुगतान का दायित्व कैंटीन संचालक का होगा।
17. कैंटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैंटीन संचालक उत्तरदायी होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने की दशा में **राशि रूपये 1000/–** (एक हजार रूपये मात्र)के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
19. कैंटीन संचालक, कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा कैंटीन संचालक के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
20. कैंटीन संचालक द्वारा अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं की जा सकेगी अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा **राशि रूपये–1000/–** प्रतिदिन से शास्ति अधिरोपित किया जायेगा।
21. इसके अतिरिक्त कैंटीन संचालक द्वारा जो भी सामग्री प्रदाय की जायेगी, उसकी मूल्य सूची अलग से संलग्न करें।
22. कैंटीन में प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध शाकाहारी रहेंगी।
23. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है। रात्रि में केंटीन में कोई भी कर्मचारी को रूकने की अनुमति नहीं रहेगी।
24. यह निविदा अहस्तांतरणीय है।
25. क्रय की जानी वाली खाद्य एवं अन्य सामग्री का विवरण निम्नानुसार है–

खाद्य एवं अन्य सामग्री की सूची

क्र	सामग्री का नाम	खाद्य सामग्री का वजन	कीमत रू. (समस्त दर सहित)
1	चाय	75 मि.ली.	
2	समोसा	100 ग्राम	
3	कचौड़ी (एक नग)	100 ग्राम	
4	आलू बड़ा (एक नग)	100 ग्राम	
5	जलेबी	100 ग्राम	
6	ढोकला	दो नग (100 ग्राम)	
7	पोहा	एक प्लेट (200 ग्राम)	
8	सांवर बड़ा	दो नग	
9	ब्रेड पकोड़ा (एक नग)	150 ग्राम	
10	चिप्स	200 ग्राम का पैकेट	
11	भजिया	100 ग्राम	
12	कॉफी	75 मि.ली.	
13	भोजन (थाली)	दो सब्जी, दाल, चावल, चार रोटी, पापड़, सलाद, मीठा, अचार, रायता	
14	भोजन (स्पेशल थाली)	तीन सब्जी, दाल, जीरा राइस, चार रोटी घी लगी, पापड़, सलाद, मीठा, अचार, रायता	
15	इडली सांभर	02 नग	
16	पानी की बॉटल (बिसलरी)	500एमएल	
17	पानी की बॉटल (बिसलरी)	01 लीटर	
18	पानी की बॉटल (बिसलरी) डिस्पेंसर सहित	40 लीटर	
19	गुलाब जामुन	प्रतिनग	
20	बुंदी लड्डु	प्रतिनग	
21	मठरी नमकीन	प्रतिनग	
22	भोजन पैकिंग हेतु डिब्बा	प्रतिनग	
23.	नाश्ता पैकिंग हेतु गत्तेवाला डिब्बा	प्रतिनग	
24	टेबल, फ्रील सहित (किराया)	प्रतिनग	
25	कुर्सी (किराया)	प्रतिनग	

//कथन//

मैं कथन करता हूं कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसकी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का नाम

:..

....

पता :..

:..

....

हस्ताक्षर

मुहर